न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO2024/70

अपील संख्या – 43/24

1. रामसहाय पुत्र स्व0 घडया
2. महेश उर्फ बंटी पुत्र स्व0बदरी
3. विजय पुत्र बदरी जातियान माली निवासीयान छावा तहसील गंगापुर सिटी
4. हनुमान पुत्र स्व0विनोद उम्र 7 वर्ष नाबालिंग जरिये संरक्षिका दादी सोहनवाई पत्नि स्व0बदरी जाति माली निवासी छावा तहसील गंगापुर सिटी
5. मु0सोहनबाई बेवा बदरी जाति माली निवासी छावा तहसील गंगापुर सिटी
6. रमेशी पुत्री बदरी पत्नि लाखन जाति माली निवासी कैमरी तहसील नादौती
7. मोहनदेई पत्नि स्व0बदरी जाति माली निवासी छावा तहसील गंगापुर सिटी
8. गोलू पुत्र स्व0बदरी
9. अंकित पुत्र स्व0गबरी
10. रामकेश पुत्र स्व0खिल्ली
11. नरेश पुत्र स्व0खिल्ली
12. इमरती पुत्री खिल्ली पत्नि अशोक जाति माली निवासी शहर तहसील नादौती
13. महेशी पुत्री खिल्ली पत्नि सीताराम जाति माली निवासी पीपलाई तहसील बामनवास
14. चन्द्रकलां पुत्री खिल्ली पत्नि सोनू माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
15. गिलासी पुत्री स्व0धूडया पत्नि खिलाडी माली निवासी खिडकिया तहसील सपोटरा
16. हरभेजी पुत्री स्व0 घूडया पत्नि परसादी जाति माली निवासी अमरगढ चौकी
17. सोमोती पुत्री स्व0घूडया पत्नि रामहेत माली निवासी सलारपुर तहसील गंगापुर सिटी
18. उगन्ती पुत्री स्व0घूडया पत्नि गिर्राज निवासी सलारपुर तहसील गंगापुर सिटी
19. चौथी पुत्री स्व0धूडया पत्नि कानजी जाति माली निवासी गढमोरा तहसील नादौती
20. भौति पुत्री स्व0धूडया पत्नि सूरज्या जाति माली निवासी गढमोरा तहसील नादौती

अपीलांट

बनाम

1. शंभू उर्फ सम्पू पुत्र स्व0सोन्या माली निवासी छावा तहसील गंगापुर सिटी
2. हरिमोहन
3. पूरण
4. लाला पुत्रान मंगल जातियान माली निवासीयान छावा तहसील गगापुर सिटी
5. छोटी बेवा मंगल
6. कला पुत्री मंगल पत्नि काडू जाति माली निवासी नाजिमवाला गंगापुर सिटी
7. कमलेश
8. हरिओम
9. विजेन्द्र पुत्रान स्व0 रामस्वरूप जातियान माली निवासीयान छावा तहसील गंगापुर सिटी
10. गीता पत्नि सुखाराम पुत्र स्व0रामस्वरूप
11. सीता पत्नि पप्पू पुत्री रामस्वरूप जातियान माली निवासी मालियो की चौकी तहसील गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:35:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

12. मीना पुत्री स्व0रामसहाय पत्नि हरिसिह माली निवासी पटटीकलां बागनवारा
13. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपील विरूद्ध मु0नं0 308/87 निर्णय व डिकी दिनांक 19.1.88 व संशोधित डिकी दिनांक 23.8.88 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री विष्णु सोमानी
अभिभाषक रैस्पो0 कोई उपस्थित नही

दिनांक 05.02.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 19.1.88 व संशोधित डिकी दिनांक 23.8.88 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी मंगल पुत्र सोन्या जाति माली निवासी छावा ने एक वाद पत्र बाबत बंटवारा आराजीयात एवं इस्तकरारहक एवं हुक्म इतनाई दवामी इस आशय का पेश किया कि ख0न0 55 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा हाल नम्बर 106, ख0न0 61 रकबा 3 विस्वा हाल नम्बर 122 , ख0न0 62 रकबा 10 विस्वा हाल नम्बर 123 , ख0न0 73 रकबा 1 विस्वा व 74 रकबा 18 विस्वा हाल नम्बर 144 ख0न0 77 रकबा 15 विस्वा हाल न0म्बर 130, ख0न0 80 रकबा 3 बीघा 12 विस्वा हाल न0 132 , ख0न0 81 रकबा 1 विस्वा, हाल न0 137 व ख0न0 82 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा हाल न0 134,136,136 व ख0न0 87 रकबा 5 विस्वा , ख0न0 96 रकबा 4 बीघा जिसका हाल ख0न0 175 व 333 स्थित वाके ग्राम छावा तहसील गंगापुर सिटी वादी एवं प्रतिवादी न0 1 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी न0 1 व 2 काश्त कर लगान अदा करते चले आ रहे है। उक्त आराजीयात बाबत वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 3 घूडया व प्रतिवादी संख्या 4 लैण्ड होल्डर तहसीलदार के विरूद्ध मुकदमा न0 302/76 अदालत हाजा मे पेश किया था जिसे दिनांक 10.5.82 को अदालत हाजा ने वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उक्त आराजीयात का खातेदार घोषित कर दिया और प्रतिवादी संया 3 व 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया। जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे हो चुका। उक्त आराजीयात मे वादी का 1/3 हिस्सा है प्रतिवादी न0 1 ता 3 ने साज कर लिया है अब वे वादी को शांतिपूर्वक तरीके से काश्त करने मे बाधा पहुँचाने की धमकी दे रहे है। इस बाबत उक्त आराजीयात को वादी दिनांक 25.7.87 को संभालने गया तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने झगडा किया व खेत से भागने की धमकी दी व जान से मारने पर आमादा हो गये। इसलिए दावा इस्तकरारहक बंटवारा भूमि एवं हुक्म इम्तनाई पेश करना आवश्यक हुआ। जब तक वादी का हिस्सा रिकार्ड मे अलग से खातेदार दर्ज नही किया जाता तथा जमीन का बंटवारा मौके पर अलग से नही किया जाता तब तक वादी को प्रतिवादीगण से कब्जे काश्त मे मजाहमत का खतरा बना रहेगा इस कारण प्रतिवादी को [illegible] हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द नही किया जाता तब तक वे अपनी बेजा हरकतों से बाज नहीं आयेंगे। इस प्रकार विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:35:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

आराजीयात मे वादी का 1/3 हिस्सा का खाता पृथक किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0की और से वावजूद तामिल कोई उपस्थित नही हुआ। बहस अपीलांट अभिभाषक की अपील पर एक पक्षीय सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के सिद्वान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी द्वारा अनुतोष से आगे बढकर मनमर्जी वादी द्वारा अपना दावा पेश होने के बाद वाद पत्र मे हाथ से लिखकर ख0न0 को नये सिरे से बढाकर दर्ज करने की और कोई ध्यान नही दिया तथा दावा डिक्री कर कानूनी भूल है। इसलिए निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने वाद पत्र के मद न0 1 मे कांट छाट की गई क्योकि वाद पत्र दिनांक 27.7.87 को न्यायालय मे पेश हुआ। उसके बाद उस पर रिपोर्ट दिनांक 28.7.87 को होकर 30.7.87 को दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने के आदेश हुए तब तक दावे के मद न0 1 मे किसी प्रकार की लिखावट हाथ से नही की गई थी। दावा पूर्णतः टाईप मशीन द्वारा तैयार किया गया था परन्तु उक्त प्रकरण मे दिनांक 6.1.88 को एक राजीनामा पेश किया जिसमे भी राजीनामा केवल ख0न0 134,135,136,137 एवं ख0न0 106,122,123,130,132,144 ग्राम छावा की भूमि बाबत हुआ तथा इन्ही ख0न0 के राजीनामे पर अपीलार्थी के बुजुर्ग घूडया द्वारा अगूठा निशानी हस्ताक्षर किये गये परन्तु हस्ताक्षर/अगूंठा निशानी हो जाने के बाद वादी द्वारा चालाकी पूर्ण तरीके से राजीनामे मे ख0न0 175,333 को और जोडा गया तथा इसी प्रकार वादी पत्र मे बिना किसी आदेश के ख0न0 175 व 333 को हाथ से लिखकर मद न0 1 मे बढाया गया क्योकि दावे मे संशोधन बिना न्यायालय के आदेश के नही किया जा सकता है तथा न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने वाद पत्र मे संशोधन बाबत कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया तथा न्यायालय की पत्रावली मे आर्डरशीट मे भी इस प्रकार के संशोधन का उल्लेख नही है अर्थात दावे व राजीनामे मे जो संशोधन किया गया है वह न्यायालय के कर्मचारियो की व वादी की मिलीभगत से उक्त वाद पत्र मे फर्जकारी कर वाद पत्र के मद न0 1 मे व राजीनामे दोनो मे अलग से ख0न0 175 व 333 जोडा गया जो एक अवैधानिक कार्यवाही थी। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा केवल ख0न0 134,135,136 व 137 तथा ख0न0 106,122,123,130,132,144 ग्राम छावा के लिए दावा पेश किया था तथा दावा बाबत विभाजन भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा का रहा, दावे मे जो इस्तकरारहक शब्द लिखा है वह केवल मात्र विभाजन मे भूमि से बनने वाले नये ख0न0 को वादी मे दर्ज करने के लिए लिखा गया न कि पृथक से कोई घोषणा खातेदारी की रिलीफ चाही है जो साथ ही वादी ने अपने वाद पत्र के अनुतोष मे हिस्सा 1/3 की रिलीफ चाही है जो 134,135,136 व 137 तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:35:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

ख0न0 106,122,123,130,132,144 के लिए चाही गई है क्योकि दावा करते समय दावे के मद न0 1 मे हाथ से लिखकर कोई संशोधन नही किया गया था तथा न ही संशोधन राजीनामे मे किया गया अर्थात दावे वे राजीनामे मे हाथ से फर्जीयत करने के बाद अपीलांट की खातेदारी की भूमि ख0न0 175 व 333 को हडपने की नियत से अधिनस्थ न्यायालय से हिस्सा 1/4 का वादी ने स्वयं को खातेदार घोषित कराने का निर्णय व डिक्री दिनांक 19.1.88 को प्रान्त की पत्रावली मे हुए उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 19.1.88 के बाद लगभग 6 माह बाद एक प्रार्थना पत्र वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 151 व 152 सीपीसी रेडवीद धारा 209 आर टी एक्ट पेश किया, जिसमे निर्णय व डिक्री मे संशोधन हेतु अनुतोष चाहा गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर उक्त वाद पत्र मु0न0 308/87 की पत्रावली तलब की गई परन्तु अपीलार्थीगण को इस बाबत कोई सूचना दिये बिना ही तथा न्यायालय की पत्रावली मु0न0 308/87 की आदेशिका मे बिना कोई कार्यवाही अंकित किये ही उक्त प्रार्थना पत्र मे पृथक से दिनांक 23.8.88 को निर्णय पारित कर दिया। जिसमे निर्णय के अंत मे प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर फैसल शुमार होना अंकित किया गया तथा उक्त निर्णय मे पुनःकांट छांट कर प्रार्थना पत्र को काटकर वाद पत्र पुनः अंकित किया गया। अर्थात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यदि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया तो अपीलार्थीगण को नोटिस जारी होने चाहिए थे। यदि दावा पुनः तलब किया जाकर दर्ज रजिस्टर्ड किया गया तो दावे मे पुनः नये मु0न0 दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी होने चाहिए थे परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण मे वादी एवं अधिनस्थ न्यायालय के कर्मचारियो की मिलीभगत से न्यायिक सिद्वान्तो व न्यायिक प्रकिया की अनदेखी कर वादी के पक्ष मे एक पक्षीय अवैधानिक निर्णय पारित दिनांक 23.8.88 को किया गया, जिसके लिए तत्कालीन अधिकारी एवं कर्मचारियो के विरूद्व कार्यवाही होना आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.8.88 को एक पक्षीय निर्णय के आधार पर दिनांक 23.8.88 को पुनः संशोधित डिक्री पारित कर दी गई। जिससे विपक्षी वकील की उपस्थिति के स्थान पर संशोधित शब्द दर्ज किया गया , जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को बिना सुने ही संशोध्ति डिक्री पारित की गई जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.1.88 व संशोधित डिक्री दिनांक 23.8.88 से स्पष्ट है कि प्रकरण मे जो सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित की गई वह अधिनस्थ न्यायालय के कर्मचारियो व वादी की मिलीभगत से सम्पादित हुई है। क्योकि वादी ने चाहे दावे व राजीनामे मे नये शब्द अंकित किये, जब चाहा संशोधन करवाया जाकर न्यायालय को अपने इशारे पर काम करने के लिए प्रेरित किया गया जो एक सम्पूर्ण अवैधानिक कार्यवाही होने के कारण पारित निर्णय अपास्त योग्य है। आरजीयात ख0न0 175 व 333 की खातेदारी जमाबंदी सम्वत 2039 मे अपीलांट के पिता घूडया पुत्र सोन्या की खातेदारी मे दर्ज है। अपीलार्थी के पिता व बाबा घूडया बिना पढे व्यक्ति थे तथा केवल अंगूठा निशानी करते थे जिसका फायदा उठाकर वादी ने न्यायालय के कर्मचारियो से मिलकर प्रकरण मे प्रस्तुत राजीनामें पर भी घूडया के अंगूठा निशानी कर न्यायालय मे पेश करने के लिए पुनः एक पंक्ति राजीनामे व वाद पत्र के मद न0 1 मे हाथ से अंकित कर अपीलार्थी की भूमि को हडपने की नियत से अवैध रूप से डिक्री करवाया है। जिसके बाबत अपीलार्थीगण को कोई जानकारी नहीं रही परन्तु वादी द्वारा पूर्व मे दिनांक 10.5.82 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:35:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

एक पक्षीय निर्णय व डिक्री व निर्णय व डिक्री दिनांक 19.2.14 मे पारित एस डी ओ गंगापुर सिटी की पत्रावलियां जब राजस्व मंडल अजमेर से वापस रिमाण्ड होकर अधिनस्थ न्यायालय मे आई जिनमे अग्रिम कार्यवाही हेतु अपीलार्थीगण के वकील ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उन्होने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के बारे मे अपीलांट को दिनांक 3.5.24 को बताया तथा कहा कि उक्त निर्णय दिनांक 19.1.88 व 23.8.88 की नकल पत्रावली मे लगी हुई है उसके बारे मे क्या कार्यवाही हुई। तो इस पर अपीलार्थीगण को कोई जानकारी नही होने की बात कही गई । इस पर रिकार्ड रूम से नकल आदि प्राप्त की जाकर जानकारी के कारण समयावधि मे अपील पेश की गई है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का मुकदमा न0 308/87 मे परित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.1.88 व 23.8.88 दावा मंगल बनाम शंभू वगै0 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलांट अभिभाषक की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादी मंगल पुत्र सोन्या जाति माली निवासी छावा द्वारा एक वाद पत्र बावत बंटवारा आराजीयात एवं इस्तकरारहक एवं हुक्म इतनाई दवामी अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत राजीनामे के आधार दिनांक 19.1.88 को डिक्री किया जाकर हाल ख0न0 134 रकबा 2 ऐयर गैर मुमकिन चाह, 135 रकबा 2 ऐयर गैर मुमकिन आबादी , 136 रकबा 72 ऐयर , 137 रकबा 3 ऐयर, 175 रकबा 7 ऐयर, 333 रकबा 90 ऐयर ग्राम छावा मे वादी को 1/4 हिस्से की खातेदारी दर्ज करने करने के आदेश दिये जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि वे वादी के हिस्सा 1/4 की खातेदारी आराजी मे उसके उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे, के आदेश दिये गये। अपीलांट का कथन रहा कि अपीलांट के पिता घूडया द्वारा प्रस्तुत राजीनामा केवल मात्र ख0न0 134,135,136,137 एवं ख0न0 106,122,123,130,132,144 के बाबत पेश किया गया था। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना किसी प्रकार का नोटिस जारी कर बिना सुने ही केवल मात्र वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर संशोधित डिक्री दिनांक 23.8.88 को जारी कर बिना अपीलार्थी के पिता को सुने आराजी ख0न0 134,135,136,137,175 व 333 ग्राम छावा मे वादी व प्रतिवादी न0 1 ता 3 को 1/4, 1/4 का खातेदार घोषित किया गया है। जबकि आराजीयात ख0न0 175 व 333 के बाबत किसी प्रकार का कोई राजीनामा अधिनस्थ न्यायालय मे पेश नही किया गया है। आराजी ख0न0 175 व 333 की आराजी अपीलांट के पिता घूडया की स्वअर्जित आराजीयात है। यह पैतृक भूमि नही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पिता घूडया की बिना सहमति के आराजीयात ख0न0 175 व 333 का विधि विरूद्व निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णय मे हाथ से लिखकर संशोधन किया गया है जबकि आराजी ख0न0 175 व 333 के बाबत किसी प्रकार का कोई राजीनामा पत्रावली मे उपलब्ध नही है। ना ही अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका मे संशोधन के सबंध मे किसी प्रकार की कार्यवाही का अंकन नही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये ही संशोधित

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:35:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

डिकी पारित की गई है। जो विधि विरूद्व है। अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित संशोधित डिकी की जानकारी समय पर नही होने के कारण उनके द्वारा समयावधि मे अपील जानकारी के कारण नही की गई है। अपील के साथ संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न कर डिले कण्डोन की अनुमति चाही गई है। इस प्रकार अपीलाट के इस मत से हम सहमत है। अतःअपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार मानी जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 308/87 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 19.1.88 व संशोधित डिकी दिनांक 23.8.88 को निरस्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी के मु0नं0 308/87 निर्णय व डिकी दिनांक 19.1.88 व संशोधित डिकी दिनांक 23.8.88 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे प्रस्तुत राजीनामे को दृष्टिगत रखते हुए उक्त आराजीयात ख0न0 175 व 333 के बाबत आराजीयात पैतृक है या स्वअर्जित है, उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। अपीलांट को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के समक्ष दिनांक 17.03.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त बालोट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:35:11 IST
Reason: SelfAttested